पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/96

प्रार्थी :–

1. मंजूदेवी पुत्री सांकलेश्वरजी धर्मपत्नी श्री लालशंकर जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द, तहसील बाली
2. पानीदेवी पुत्री सांकलेश्वर धर्मपत्नी छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द, तहसील बाली
3. कान्तादेवी पुत्री सांकलेश्वर धर्मपत्नी कैलाश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत भाटून्द मार्फत सरपचं, ग्राम पंचायत भाटून्द तहसील बाली जिला पाली राज.
2. दीपिका पुत्री जयशंकर धर्मपत्नी विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी भंदर तहसील बाली।
3. जितेन्द्र पुत्र गेनीराम, जाति ब्राह्मण निवासी भन्दर, तहसील बाली जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा जारी संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 मिसल संख्या 06/07–08 दायर दिनांक 16.06.2007 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली।
2. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़।

–:निर्णय:–

दिनांक: 28.07.2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा जारी संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 मिसल संख्या 06/07–08 दायर दिनांक 16.06.2007 के द्वारा अप्रार्थी संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

01 ने अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भाटून्द में सांकलेश्वर जी पुत्र हकमा जी जाति ब्राह्मण का एक मकान आया हुआ स्थित है। सांकलेश्वर जी की मुत्यु हो चुकी है तथा उनकी धर्मपत्नी की भी मृत्यू हो चुकी है। स्व. सांकलेश्वर जी के एक पुत्र तथा तीन पुत्रियां उत्तराधिकारी के रुप में रही। जिनमें पुत्र जयशंकर (अप्रार्थी संख्या 02 के पिता) तथा पुत्रियां तीनों ही प्रार्थीगण रही। इस प्रकार सांकलेश्वर जी की मृत्यु के समय उक्त चारो ही संताने बतौर उत्तराधिकारी के रुप में जीवित रही। जयशंकर जी की मृत्यु अल्पकालिक समय में ही हो गयी थी। स्व. सांकलेश्वर जी तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 के पिता जैर निगरानीशुदा मकान में ही निवास करते थे तथा वही उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ है। स्व. जयशंकर जी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 02 की नियत खराब हो गयी तथा उसने अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलीभगत कर झूठे एवं गलत दस्तावेजों के आधार पर मिलावट कर जैर निगरानीधीन पट्टा प्रस्ताव व आदेश पारित करवा दिया जबकि अकेले अप्रार्थी संख्या 02 को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं था, बावजूद इसके भी मिलीभगत करके पट्टा अपने हक में जारी करवाया है जबकि प्रार्थीगण तीनों ही आपस में सग्गी बहिनें है तथा उनका आज भी जैर निगरानीशुदा मकान में कब्जा है तथा उपयोग उपभोग तथा मालिकाना हक हकूक है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से मिलावट कर की गई कार्यवाही अपने आप में ही दूषित एवं बनावटी है तथा प्रार्थीगण के हितों के विरुद्ध है। इस कारण से ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर तथा विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना नियमों को ताक में रखकर प्रार्थीगण के हक हकूकसुदा, कब्जाशुदा रहवासीय मकान का पट्टा अकेले अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 01 के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 12 दिनांक 02.03.2009 को विवादग्रस्त पट्टा राशि 200/– रुपये प्राप्त कर संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 के अनुसरण में अवैधानिक रुप से जारी कर दिया गया। जबकि ऐसा करने का कोई हक अधिकार अप्रार्थी संख्या 01 को नहीं था क्योंकि पूर्व में ही मालिकाना हक हकूक, टाईटल पारितशुदा थे। जिस कारण से जैर निगरानीशुदा की गई कार्यवाही पूर्णतया दुषित है तथा प्रार्थीगणों के हितों के विरुद्ध है। अतः निगरानी याचिका प्रार्थीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि याचिका बाद सुनवाई स्वीकार कर विवादग्रस्त पट्टा संख्या 12 मिसल संख्या 06/07–08 दायर दिनांक 16.06.2007 एवं निर्णय दिनांक 02.03.2009 एवं संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 जो अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित किया गया को खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के आधारों का याचिकापत्र में पैराद्वार अंकन करते हुए प्रक्रियात्मक त्रुटियों को भी इंगित किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका जवाब पेश कर निवेदन किया कि:-

1. यह है कि अप्रार्थीयां दीपीका द्वारा ग्राम पंचायत भाटून्द में आवेदन पत्र पेश करने पर दिनांक 16.6.2007 को मिसल संख्या 06/2007-2008 मूर्तिब की गई जिसमें तमाम ही औपचारिकताओं का निर्वहन करने के पश्चात ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 की पालना में दिनांक 02.03.2009 को पट्टा संख्या 12 जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधि की अवहेलना नहीं किए जाने व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना किए जाने पर नियमानुसार पट्टा संख्या 12 श्रीमती दीपिका के नाम जारी किया गया है तथा बाद जारी किए जाने पट्टा/विक्रय विलेख दिनांक 02.03.2009 के ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा उक्त पट्टा का पंजीयन उप पंजीयक बेड़ा के यहां पर दिनांक 05.03.2021 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 11 में पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 202103474100185 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41 के पृष्ठ संख्या 113 से 125 पर चस्पा किया गया हैं।
2. यह है कि बाद पंजीयन पट्टा/विक्रय विलेख के अप्रार्थीयां संख्या 2 ने अपना स्वामित्व व आधिपत्य का मकान जितेन्द्र पुत्र गेनीराम दवे जाति ब्राह्मण निवासी भन्दर तहसील बाली को दिनांक 16.07.2020 को उप पंजीयक बेड़ा के यहां पर पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 20200347100337 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 28 के पृष्ठ संख्या 364 से 374 पर चस्पा किया गया है। जिससे वर्तमान में पट्टा संख्या 12 दिनांक 02.03.2009 के मालिक व स्वामी जितेन्द्र पुत्र गेनीराम जाति दवे ब्राह्मण निवासी भाटून्द है तथा उक्त तमाम ही कार्यवाही की जानकारी प्रार्थीगण को भलीभांति होने से प्रार्थीगण के पंचायत निगरानी याचिका काबिल खारिज के है तथा उक्त प्रकरण के अन्तिम व वास्तविक निस्तारण के लिये खरीददार जितेन्द्र आवश्यक व समुचित पक्षकार मुकदमा है। तथा अप्रार्थी संख्या 03 विवादित सम्पति का सदभाविक क्रेता है। जिनको प्रार्थीगण ने पक्षकार मुकदमा नहीं बनाए जाने से प्रार्थीगण की रिवीजन याचिका काबिल खारिज के है।
3. यह है कि सांकलेश्वर पुत्र श्री हकमाजी जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द का स्वर्गवास हो गया है तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धर्मीदेवी का भी स्वर्गवास हो गया है तथा सांकलेश्वर के तीन पुत्रियां क्रमश मन्जु देवी, पोनी देवी, व कान्ता देवी प्रार्थीगण हुई व एक पुत्र जयशंकर हुए। जिसमें से जयशंकर का भी स्वर्गवास हो गया है तथा उनकी एकमात्र पुत्री अप्रार्थीया संख्या 02 दीपिका हुई तथा स्वर्गीय साकलेश्वर की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण मन्जुदेवी, पोनी देवी, व कान्ता देवी तथा दीपिका कुमारी के मध्य पैतृक सम्पति का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

आपसी समझौता का लिखत दिनांक 27.11.2008 को निष्पादित किया गया व उक्त लिखत के अनुसार विवादित मकान जो कि बमुकाम भाटून्द के बमौहल्लां कसनाबा की सेरी मे व खेती की राजस्व भूमि अप्रार्थीया दीपिका के हिस्से व हक में रखी गयी। जिस दस्तावेज पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर होने व तकमील किए जाने से प्रार्थीगण पंचायत निगरानी याचिका के जरिए अप्रार्थीया संख्या 02 दीपिका के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 12 दिनांक 02.03.2009 को निरस्त कराने से कानूनन इस्टोपड है। जिसमें भी प्रार्थीगण की याचिका काबिल निरस्त के है।

4. यह है कि विवादित सम्पति पर बहैसियत मालिक व स्वामि के जितेन्द्र पुत्र श्री गेनीराम दवे ब्राह्मण निवासी भन्दर काबिज होने से भी प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी याचिका काबिल खारिज के है।

5. यह हैं कि पट्टा संख्या 12 दिनांक 02.03.2009 व विक्रय विलेख दिनांक 16.07.2020 उप पंजीयक बेड़ा के यहां पर पंजीबद्ध किया गया है तथा पंजीबद्ध किए गए दस्तावेजों को निरस्त व शून्य किए जाने का एकमात्र अधिकार व क्षेत्राधिकार सीविल न्यायालय को ही प्राप्त है व प्रशासनिक न्यायालय व रिवीजन याचिका के जरिए श्रीमान न्यायालय को पंजीबद्ध विक्रय विलेख को निरस्त करने का विधिक क्षेत्राधिकार नहीं होने से भी याचिका काबिल निरस्त के है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

6. यह है कि माफिक पारिवारिक समझौता दिनांक 27.11.2008 के खेती की राजस्व भूमि व रहवासीय मकान बमुकाम भाटून्द में स्थित स्व. सांकलेश्वर के अप्रार्थीया दीपिका के हिस्से व अधिकार में रखे गए है तथा अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी भूमि को भी हनुमानप्रसाद पुत्र जगनारामजी जाति ब्राह्मण निवासी भाटून्द को जरिए रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.05.2016 के सरहद भाटून्द में स्थित राजस्व भूमि का बैचान किया गया है, जिस दस्तावेज में भी प्रार्थीयां कान्ता देवी ने बतौर अपनी सहमति के साक्षीगण के हस्ताक्षर किए है। जिससे भी प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी याचिका काबिल निरस्त के है।

7. यह है कि इसी विवाद को लेकर श्रीमती पोनी देवी प्रार्थीया ने श्री उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 56/2020 श्रीमती पोनी देवी बनाम मन्जूदेवी व अन्य के अनवान में वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 आर.टी.एक्ट. के तहत तारीख पेशी दिनांक 04.07.2024 में पेश कर रखा है जिसमें भी उक्त वाद करने से पहले वाद संख्या 38/2011 कान्ता देवी बनाम दीपिका का पेश किया जो वाद भी अस्वीकार कर पूर्व में खारिज किया जा चुका है व यह जानते हुए भी पुनः खातेदारी घोषणा का वाद एकमात्र नापाक इरादो के साथ एकमात्र दीपिका का तंग व परेशान कर सामाजिक स्तर पर नीचा दिखाने की बदनियति से पेश किया गया है, जो काबिल निरस्त के है।

8. यह है कि प्रार्थीगण ने मात्र अकारण यह जानते हुए भी पारिवारिक समझौता का लिखत दिनांक 27.11.2008 के तहत स्व. सांकलेश्वर जी की अचल सम्पति में राजस्व भूमि व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

रहवासीय मकान बमुकाम भाटून्द में स्थित अप्रार्थीया दीपिका को प्राप्त हुए है फिर भी गलत व झूठा मुकदमेंबाजी करने से अप्रार्थीया को विशेष खर्चे की राशि रुपये 51,000/– दिलाते हुए पंचायत निगरानी काबिल खारिज किये जाने के है।

9. यह है कि पंचायत निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से व पंजीबद्ध विक्रय विलेख/पट्ट को निरस्त करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थीगण की पंचायत निगरानी काबिल खारिज के है।

ग्राम पंचायत भाटुन्द से प्रकरण का मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी संख्या दो के दादा स्व. सांकलेश्वर जी का स्वामित्वशुदा भूखण्ड था, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा स्व. सांकलेश्वर जी के विधिक वारिसों की सम्यक् जांच किये बगैर ही अकेले अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में उक्त आराजी का भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, जो कि अवैध एवं शून्यकरणीय है। यह भी, कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख नियम 157 के अन्तर्गत 50 वर्ष पुराने गृह के विनियमितिकरण के रुप में जारी किया हुआ है, जबकि वक्त मिसल कायमी अप्रार्थी संख्या दो नाबालिग थी, तो भी पचास वर्ष से कब्जा साबित मानकर जारी किया गया आलोच्य पट्टा काबिल निरस्त है। यह भी, कि आवेदन से पूर्व ही ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम कर कार्यवाई तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में उपबन्धित प्रक्रियात्मक उपबन्धों की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया गया है।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए काबिल अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या दो एवं तीन ने वक़्त बहस निवेदन किया कि आलोच्य पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है, न्यायालय हाजा को नहीं। साथ ही, जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन को ज़रिए पंजीबद्ध विलेख विक्रय विलेख किया जा चुका है तथा 'सदभावी क्रेता' के रुप में अप्रार्थी संख्या तीन के पक्ष में अधिकार सृजित हो चुके हैं। उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में आदिनांक चुनौति नहीं दी गई है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य दिनांक 27.11.2008 को एक लिखित पारिवारिक समझौता निष्पादित किया गया था, जिसमें ज़ैर निगरानी विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्वाधीन रखी गई थी। उक्त पारिवारिक समझौता पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त फैमिली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

सेटलमेण्ट को आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई गई है। अतः विचाराधीन निगरानी आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:—

1. AIR 1997 (SE) Page 577
2. 186 2021(1) DNJ (Raj)

रिब्युटल में अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने में तथाकथित पारिवारिक समझौता पत्र को आधार नहीं बनाया गया था तथा प्रक्रियात्मक एवं वैधानिक त्रुटियों के कारण जैर निगरानी आलोच्य पट्टा काबिल निरस्त है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

प्रकरण में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सारगर्भित अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम, तो अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत इस आपत्ति का अभिनिर्धारण आवश्यक है कि जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख उपंजीयक कार्यालय, बेड़ा में दिनांक 05.03.2021 को पंजीवद्ध करवा दिये जाने से पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। किन्तु इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या बउनवान Bhagirath Ram Vs. State of Raj. [556 RRT 2020(1)] में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि "

"Jurisdiction is not barred even to cancel the registered patta."

उपरोक्त निर्णय के आलोक में अप्रार्थीपक्ष की यह आपत्ति खारिज की जाती है कि पट्टा पंजीयन हो जाने से अपीलीय न्यायालय इसके विरुद्ध अपील श्रवण करने हेतु सक्षम नहीं है।

द्वितीयतः, प्रार्थीगण ने निगरानी याचिका में यह अंकन किया है कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूमि पुश्तैनी रुप में स्वर्गीय सांकलेश्वर जी की सम्पति थी तथा उनकी मृत्यू उपरान्त उक्त सम्पति पर पुत्रियों के रुप में प्रार्थीगण का भी हक हकूक होने के बावजूद अकेले अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में उक्त आराजी का भूमि विलेख निष्पादित किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा इसके प्रत्युतर में एक लिखित पारिवारिक समझौता (Family Settlement) दिनांक 27.11.2008 की प्रति प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि उक्त समझौते अनुसार, जिसमें प्रार्थीगण भी पक्षकार थी, जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उन्वान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

दो के स्वामित्वाधीन ही माना गया था, अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व सम्बन्धि आपत्ति आधारहीन एवं काबिल खारिज है।

उपरोक्त बिन्दु पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र मत है कि किसी अपंजीकृत दस्तावेज, यथा पारिवारिक समझौता पत्र से किन्हीं अधिकारों की सृजन की उपधारणा करने अथवा ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज की प्रामणिकता या अप्रमाणिकता पर अभिमत व्यक्त करने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। हस्तगत निगरानी याचिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ पंचायतीराज संस्था द्वारा पारित किसी आदेश, विनिश्चय अथवा कार्यवाही की वैधानिकता अथवा औचित्य का परीक्षण करना ही अपेक्षित है।

जँहा तक ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 तथा उससे सम्बन्धित मिसल संख्या 06/2007–08 में सम्पादित कार्यवाही की वैधानिकता के परीक्षण का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण तथा मूल पट्टे के अध्ययन अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते है:–

1. मूल मिसल में प्रथम आदेशिका दिनांक 05.11.2008 में प्रार्थीया द्वारा आवेदन मय शपथपत्र प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। किन्तु मिसल में ही संलग्न दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि प्रार्थीया अर्थात् अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन दिनांक 28.11.2008 एवं शपथपत्र दिनांक 02.12.2008 को प्रस्तुत किया था, जिसकी तस्दीक के रुप में आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर भी अंकित है। अर्थात् आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही मिसल संख्या 06/2007–08 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। अर्थात् मिसल में दर्ज कार्यवाही तथा तिथियों का अंकन परस्पर विरोधाभाषी है।
2. आवेदक अप्रार्थी संख्या दो द्वारा मिसल में प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 02.12.2008 में स्वयं की आयु 18 वर्ष अंकित की गई है। जबकि उक्त मिसल में आवेदक के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) में पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में निष्पादित किया गया है तथा उक्त पट्टा संख्या 12 में यह स्पष्टतया अंकित भी है कि आवंटिति का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है व नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित किया गया है। अर्थात् यदि आवेदक ने स्वयं अपनी आयु 18 वर्ष अंकित की है, तो पिछले पचास वर्षों से उनका कब्जा किस आधार पर प्रमाणित माना गया तथा यदि मकान 1996 से पचास वर्ष से भी अधिक अवधि से संनिर्मित था, तो ग्राम पंचायत से यह अपेक्षित था कि उसके इस बिन्दु की जांच की जाती कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्मित मकान किस की सम्पति थी तथा उसके वैध वारिसान् कौन–कौन है। किन्तु मिसल संख्या 06/2007–08 के अध्ययन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

है कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तथ्य की तस्दीक हेतु कोई प्रयत्न नहीं किए गए तथा मात्र दो गवाहों के बयानों के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो का स्वामित्व/कब्जा प्रमाणित मानते हुए आलोच्य भूमि विक्रय विलेख उनके पक्ष में निष्पादित कर दिया गया।

3. मिसल में आदेशिका दिनांक 05.11.2008 में प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण हेतु तीन वार्डपंचों की समिति बनाये जाने का उल्लेख है, यद्यपि तीन पंचों के नामों का उक्त आदेशिका में उल्लेख नहीं है और न ही सम्पूर्ण मिसल में ऐसा कोई पंच मनोनयन आदेश ही उपलब्ध है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146(2) में प्रावधान है कि सचिव पंचो के मनोनयन हेतु पंचायत की बैठक में पत्रावलियों को प्रस्तुत करेगा। किन्तु बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.11.2008 को ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त मिसल संख्या 06/2007–08 का अंकन ही नहीं है और न ही तीन पंचों को प्रतिनियुक्त करने का कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा अपनी किसी भी बैठक में पारित किया गया। मिसल में सलंग्न स्थल निरीक्षण प्रपत्र किन पंचों के द्वारा तथा किस के द्वारा अधिकृत करने पर तैयार किया गया, इसका कोई प्रत्युतर प्रस्तुत करने में अप्रार्थीपक्ष असफल रहे हैं।

4. मिसल 06/2007–08 में दिनांक 20.11.2008 को आपत्ति इश्तिहार जारी करने की आदेशिका में आज्ञा दी गई है। किन्तु बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत की बैठक दिनांक 20.11.2008 में उक्त मिसल का कोई अंकन ही नहीं है। अर्थात बिना पंचायत के प्रस्ताव के ही सरपंच द्वारा अनाधिकृत रुप से स्वयं के हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही प्रभाव में लाई गई।

5. आलोच्य पट्टा संख्या 12 दिनांक 02.03.2009 में यह अंकित है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.01.2009 की अनुपालना में जारी किया गया है। जबकि बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज विवरण अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.01.2009 में पारित संकल्प/प्रस्ताव संख्या 02 में उक्त मूल मिसल 06/2007–08 का अंकन मात्र तक नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 को निष्पादित करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा अपनी किसी भी बैठक में कोई संकल्प/प्रस्ताव पारित नहीं किया गया और आलोच्य पट्टे पर मात्र काल्पनिक अंकन कर अवैधानिक ढंग से पट्टा जारी किया गया है।

6. यह आश्चर्यजनक है कि विचाराधीन निगरानी से सम्बन्धित मिसल संख्या 06/2007–08 का दर्ज दिनांक से लेकर फैसल दिनांक 02.03.2009 तक ग्राम पंचायत भाटून्द की किसी भी बैठक में कोई अंकन नहीं है अर्थात् ग्राम पंचायत की बैठक में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 82/2024
उनवान : मंजूदेवी व अन्य बनाम ग्राम पंचायत भाटून्द व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

कोई प्रस्ताव या संकल्प पारित किये बिना ही ग्राम पंचायत के प्राधिकारियों, यथा सरपंच एवं, सचिव द्वारा अविधिपूर्ण ढंग से एवं मात्र कागजों में सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पादित की गई।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भाटून्द द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 (मिसल संख्या 06/2007—08) दिनांक 02.03.2009 बमाप 1487.5 फीट अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत भाटून्द को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भाटून्द को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेख संख्या 12 की मूल कार्यालय प्रति तथा मिसल 06/2007—08 पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क तथा बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड मय निर्णय की पालनार्थ तहरीर के ग्राम पंचायत भाटून्द को लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner